बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 353566 ग्रा0वि0-3/स्था0-6-10/10

दिनांक :- 12/02/18

प्रेषक,

राधा किशोर झा,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
सीतामढ़ी ।

विषय:- **वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में सीतामढी जिलान्तर्गत परसौनी प्रखंड सह अंचल के कार्यालय सह आवासीय भवन निर्माण एवं आवासीय परिसर विकास के लिए 4.64 एकड़ भूमि भू-अर्जन पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम-2013 के तहत अर्जन करने हेतु कुल 2,92,53,158/- (दो करोड बानवे लाख तिरपन हजार एक सौ अन्ठावन) रूपये का मात्र आवंटन के संबंध में ।**

प्रसंग:- **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 352411 दिनांक-06.02.18**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-352411 दिनांक-06.02.18 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में सीतामढी जिलान्तर्गत परसौनी प्रखंड सह अंचल के कार्यालय सह आवासीय भवन निर्माण हेतु मौजा-अण्डहरा, थाना नं0-30 अन्तर्गत 4.64 एकड़ भूमि भू-अर्जन पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम-2013 के तहत कुल 2,92,53,158/- (दो करोड बानवे लाख तिरपन हजार एक सौ अन्ठावन) रूपये मात्र की लागत व्यय पर अर्जन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है । उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में स्वीकृत राशि के विरूद्ध 2,92,53,158/- (दो करोड बानवे लाख तिरपन हजार एक सौ अन्ठावन) ~~रूपये~~ रूपये मात्र आंवटित की जाती है ।

2. स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजना मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-103-ग्राम विकास उप शीर्ष-0102-प्रखंड लघु निर्माण कार्य, विपत्र कोड- 42-4515001030102 विषय शीर्ष 53 मुख्य निर्माण कार्य 0102.53.02 भू-अर्जन मद से विकलनीय होगा ।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी समाहर्त्ता, सीतामढी होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, सीतामढी से वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य कर ली जायेगी ।

4. आंवटित राशि की निकासी, जमा एवं व्यय में वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 वि0(2) दिनांक 17.04.1998, पत्रांक 7857 दिनांक 31.07.13 एवं समय-समय पर

4

निर्गत अनुदेशों/निदेशों का अनुपालन किया जायेगा । साथ ही वित्त विभाग के परिपत्र सं0-3687 दिनांक 30.03.12 एवं पत्रांक 5542 दिनांक 23.05.12 का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

5. आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 352411 दिनांक-06.02.18 में निहित निर्देशों के आलोक में किया जायेगा ।

6. इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारियों को दे दी गयी है ।

7. आवंटित राशि कोषागार से निकासी कर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

विश्वासभाजन,

(राधा किशोर झा)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 353566 दिनांक:- 12/02/18

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 353566 दिनांक:- 12/02/18

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 353566 दिनांक:- 12/02/18

प्रतिलिपि- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/ उप विकास आयुक्त, सीतामढी/ जिला कोषागार पदाधिकारी, सीतामढी /प्रखंड विकास पदाधिकारी, परसौनी, सीतामढी/ अंचल अधिकारी, परसौनी, सीतामढी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 353566 दिनांक:- 12/02/18

प्रतिलिपि- बजट शाखा, ग्रामीण विकास विभाग/ प्रभारी सांख्यिकी कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग/ श्री सुनिल कुमार, आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव